भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5946

जिसका उत्तर सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1948 (शक) को दिया गया

वित्तीय समावेशन पर किया गया व्यय

†5946.श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन पहलों पर सरकार द्वारा योजना-वार और राज्य-वार कुल कितना बजट आबंटन किया गया है और कितना वास्तविक व्यय हुआ है;

(ख) देश भर में डिजिटल बैंकिंग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और अन्य पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन के विस्तार में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार वित्तीय समावेशन को मजबूत करने, ऋण पहुंच में सुधार करने और वित्तीय सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) समावेशी विकास और विकसित भारत के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एआई एवं डिजिटल वित्तीय अवसंरचना का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित भावी कार्य-योजना एवं नीतिगत पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी योजनाओं के माध्यम से, अगस्त 2014 को राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई) की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित परिवारों को सर्वभौमिक बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, असुरक्षित परिवारों को सुरक्षित करना और गैर वित्तपोषित परिवारों को वित्तपोषित करना जैसे मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है। उपर्युक्त योजनाओं के लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, पीएमएमवाई के लिए ऋण गारंटी योजना तैयार की गई है, जिसका संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से किया जाता है और इसके लिए 3,900 करोड़ रुपये का कोष स्वीकृत किया गया है।

(ख): डिजिटल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, केंद्रीय बजट 2022-2023 में डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की घोषणा की गई थी। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 27 बैंकों द्वारा 113 जिलों में वित्तीय वर्ष 2022-2023 (अक्टूबर 2022 से 23 मार्च तक) में डीबीयू की संख्या 89 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-2026 (फरवरी 2026 तक) में 120 हो गई है। डीबीयू खाता खोलने, निधि हस्तांतरण, जमा, ऋण आवेदन और बिल भुगतान सहित संपूर्ण डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।

डिजिटल भुगतान लेनदेन की मात्रा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 7,198 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22,198 करोड़ हो गई है। इसी अवधि में लेनदेन का कुल मूल्य भी 1,744 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2,863 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी अवधि में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन की मात्रा और मूल्य क्रमशः 4,597 करोड़ से बढ़कर 18,587 करोड़ और 41 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 261 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं से जुड़े पीएमजेडीवाई खातों की संख्या से संबंधित आंकड़े केंद्रीय रूप से संग्रहित नहीं किए जाते हैं। तथापि, 86.20% पीएमजेडीवाई खाते आधार से जुड़े हुए हैं ताकि वे डीबीटी वितरण को सुदृढ़ करने के लिए विशिष्ट भुगतान प्रणाली के रूप में आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) का लाभ उठा सकें।

(ग) और (घ): भारत में वित्तीय सेवा क्षेत्र ने हाल के वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ कई तकनीकी प्रगति की है। इन प्रौद्योगिकियों को डिजिटल भुगतान, ग्राहक सेवा, धोखाधड़ी का पता लगाने की व्यवस्था, वैकल्पिक ऋण मूल्यांकन मॉडल, वित्तीय बाजार के रुझानों के लिए पूर्वानुमान विश्लेषण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजित किया गया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने सुविधाजनक, निर्बाध, त्वरित और सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित करके भारत के भुगतान उद्योग में क्रांति ला दी है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इंडियाएआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (आईएडीआई) जैसी पहलों का उद्देश्य प्रभावशाली एआई समाधानों के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हो सकते हैं। इंडियाएआई ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के सहयोग से इंडियाएआई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लायंस चैलेंज शुरू किया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय रिपोर्टिंग अनुपालन को सुदृढ़ करने, विसंगति का पता लगाने में सुधार करने और उन्नत एआई प्रणालियों के माध्यम से विनियामक निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए नवीन, स्केलेबल और जवाबदेह एआई-आधारित समाधानों की पहचान करना और उनका समर्थन करना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 दिसंबर, 2024 को वित्तीय क्षेत्र में एआई के जवाबदेह और नैतिक सशक्तिकरण (फ्री-एआई) के लिए अवसंरचना विकसित करने हेतु एक समिति का गठन किया, जिसे वित्तीय क्षेत्र में नैतिक और जवाबदेह तरीके से एआई को अपनाने के लिए सुदृढ़, व्यापक एआई अवसंरचना की सिफारिश करने का दायित्व सौंपा गया था। समिति ने 13 अगस्त, 2025 को अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत के वित्तीय क्षेत्र में नैतिक एआई को अपनाने के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
